सं. ओ.वि./एफ.डी./139-83/54931.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. भास्कर स्टोन वेयर पाईप प्रा. लि., अमर नगर, मथुरा रोड, फरीदाबाद श्री पन्ना लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20-6-1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495-श्रम-/57/11245 दिनांक 7-3-58 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवाद ग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री पन्ना लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./11/220-83/54938.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मैसर्ज राम मस्स ट्रल इण्डिया (रजि.) 2 जे/43 जी, एन. आई. टी. फरीदाबाद के श्रमिक श्री बाबू लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री बाबू लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./फरीदाबाद/124-82/54945.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज फरीदाबाद फोरजिंग प्रा. लि. प्लाट नं. 58, सैक्टर 6 फरीदाबाद के श्रमिक श्री गौतम शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री गौतम शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./136-83/54952.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. प्रिंस इण्डिया लि., 13/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20-6-1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7-2-58 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवाद ग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :

क्या श्री राजेन्द्र प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?